

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली
पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

दीना मीना पुत्र श्री जयलाल मीना, ग्राम व पोस्ट-मोंगेपुरा, तहसील मण्डरायल जिला करौली
- अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली - प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक-22.09.2020

1. अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 16.09.2020, 21.09.2020 व 22.09.2020 को बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर दिनांक 05.02.2015 से 11.11.2016 तक ग्राम पंचायत मोंगेपुरा में डांग क्षेत्रीय विकास योजना में कराये गये कार्यों की अनुशुचित/आवंटित राशि, प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, विकास कार्यों की सूची, एमबी, निर्माण कार्यों के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकन की प्रति आदि कुल 5 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक-जिपक/डांक्षेवियो./2020/1220 दिनांक 14.09.2020 से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित करते हुए इस न्यायालय को प्रति प्रेषित की है। उक्त पत्रानुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को बिन्दुवार सूचना प्रेषित की जा चुकी है जिस पर अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार भी पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने से एवं सुनवाई हेतु दिनांक 16.09.2020, 21.09.2020 व 22.09.2020 को बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी के उपस्थित नही आने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
7. अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 22.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली